

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
कौटिल्य नगर, पटना-14.

फोन नं०- 0612-2223727
फैक्स नं०-0612-2224529

राष्ट्रीय/स्पर्धा/ई० निविदा (एस० बी० डी०)

ई०-निविदा सूचना संख्या - 23/SBD/2021-22

- 1 विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।
- 2 निविदा आमंत्रित करने की तिथि : दिनांक- 21-12-2021
- 3 निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक- 29-01-2022 से 07-02-2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक।
- 4 निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक- 29-01-2022 से 09-02-2022 को 17:00 बजे तक।
- 5 (क) तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक- 10-02-2022 को 16:00 बजे।
(ख) वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : तकनीकी बीड का निष्पादन सक्षम प्राधिकार से होने के पश्चात।
(ग) परिमाण-विपत्र का मूल्य, विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान : कंडिका- 42 के अनुसार
- 6 प्री बीड मितिग की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक- 31-01-2022 को 15:00 बजे।
मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।
- 7 निविदा पत्र बिक्री का स्थान : www.eproc.bihar.gov.in पर।
- 8 निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन।
- 9 कार्य का विवरण :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य० अभि०, बि०पु०भ०नि०, कार्य प्रमण्डल	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	निविदा कागजात का मूल्य (रु० में)	निविदा प्रसंस्करण शुल्क रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नी सैदपुर थाना में 20 सिपाहियों को बैरक (G+1) एवं 04 यू० एस० आवास (दो ब्लॉक) का निर्माण, नगर थाना सीतामढ़ी में चहारदिवारी का निर्माण एवं सीतामढ़ी जिलान्तर्गत कन्हौली थाना में 05 गाड़ियों हेतु गैरेज, आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (प्रथम पुर्ननिविदा)	दरभंगा	398.68	797400	10000	17700	14 माह
2.	जमुई जिलान्तर्गत द्वार पहाड़ी (शिकारडीह) थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (प्रथम पुर्ननिविदा)	भागलपुर	482.60	965200	10000	17700	14 माह
3.	जमुई जिलान्तर्गत बामदह थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (प्रथम पुर्ननिविदा)	भागलपुर	493.16	986400	10000	17700	14 माह
4.	वेतिया जिलान्तर्गत साठी थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर प्र० कैम्प हाजीपुर	609.41	1218900	10000	17700	14 माह
5.	वेतिया जिलान्तर्गत भगहा थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर प्र० कैम्प हाजीपुर	609.41	1218900	10000	17700	14 माह
6.	वेतिया जिलान्तर्गत मटिअरिया थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर प्र० कैम्प हाजीपुर	609.41	1218900	10000	17700	14 माह

कृ०पु०उ०....2/

[Handwritten signature]

7.	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत जजौर थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर प्र0 कैम्प हाजीपुर	609.41	1218900	10000	17700	14 माह
8.	सिवान जिलान्तर्गत असौव थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर प्र0 कैम्प हाजीपुर	609.41	1218900	10000	17700	14 माह
9.	वेतिया जिलान्तर्गत मैनाटाड़ थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर प्र0 कैम्प हाजीपुर	609.41	1218900	10000	17700	14 माह
10.	सिवान जिलान्तर्गत धनौती ओपी0 में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर प्र0 कैम्प हाजीपुर	513.54	1027100	10000	17700	12 माह
11.	कटिहार जिलान्तर्गत प्राणपुर थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	609.41	1218900	10000	17700	14 माह
12.	अररिया जिलान्तर्गत बौसी थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	609.41	1218900	10000	17700	14 माह
13.	कटिहार जिलान्तर्गत रातौरा थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	617.41	1234900	10000	17700	14 माह
14.	रोहतास जिलान्तर्गत सूर्यपुरा थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मगध प्र0 कैम्प डेहरी ऑन सोन	617.41	1234900	10000	17700	14 माह
15.	औरंगाबाद जिलान्तर्गत नरारीकला थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मगध प्र0 कैम्प डेहरी ऑन सोन	609.41	1218900	10000	17700	14 माह
16.	भागलपुर जिलान्तर्गत एन0टी0पी0सी0 थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर	609.41	1218900	10000	17700	14 माह
17.	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत महिंदवारा थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	609.41	1218900	10000	17700	14 माह
18.	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुनौरा थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	609.41	1218900	10000	17700	14 माह
19.	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुप्पी थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	609.41	1218900	10000	17700	14 माह
20.	खगड़िया जिलान्तर्गत गगौर थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	609.41	1218900	10000	17700	14 माह
21.	बेगूसराय जिलान्तर्गत साम्हो थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	609.41	1218900	10000	17700	14 माह
22.	दरभंगा जिलान्तर्गत वाजितपुर ओपी0 में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	513.54	1027100	10000	17700	12 माह
23.	किशनगंज जिलान्तर्गत गर्वनडंगा थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	609.40	1218900	10000	17700	14 माह
24.	किशनगंज जिलान्तर्गत वीवीगंज थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	609.40	1218900	10000	17700	14 माह
25.	किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	609.40	1218900	10000	17700	14 माह
26.	अररिया जिलान्तर्गत सोनामनी गोदाम ओपी0 में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	513.54	1027100	10000	17700	12 माह

Handwritten signature and initials in blue ink.

27.	लखीसराय जिलान्तर्गत वीरपुर थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	राजगीर	609.40	1218900	10000	17700	14 माह
28.	भोजपुर जिलान्तर्गत कृष्णागढ़ थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	617.40	1234800	10000	17700	14 माह

10. निविदा स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता :- सक्षम प्राधिकार
11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के हो, निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु कार्य का आवंटन आदेश प्राप्त होने के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निबंधन तथा S.B.D. में निहित प्रावधान के तहत कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगर किसी संवेदक को पूर्व में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
12. विद्युतीकरण कार्य सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य होगा। सिर्फ विद्युतिकरण कार्य के लिए विद्युतिकरण कार्य के स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा।
13. ऐसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :- (i) जिनको वंचित (Debar) किया गया है या जिनका नाम काली सूची में दर्ज है, (ii) जिन पर निर्मित/निर्माणाधीन भवनों में मुख्यालय से गठित दल द्वारा गुणवत्ता से संबंधित त्रुटियाँ प्रतिवेदित हो।
14. परिमाण विपत्र की राशि अंक गणितीय गणना में स्वीकृति के पश्चात घट/बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि भी घट / बढ़ सकती है। निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है। समुचित अग्रधन की राशि के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी।
15. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार www.eproc.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा संबंधित जानकारी, एम/22, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डींग, रोड नं०-25, श्री कृष्णानगर, पटना-01 के दुरभाष संख्या -0612 2545306 से प्राप्त किया जा सकता है।
16. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। user id, password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
17. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tender free View में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
18. निविदा कागजात भरकर वेबसाइट पर ही जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खुलने की जानकारी वेबसाइट से ही प्राप्त होगी। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।
19. बीड प्रोसेसिंग फीस एवं सर्विस टैक्स (अप्रतिदेय) का भुगतान संवेदक अनिवार्य रूप से ऑन लाइन विधि यथा Internet Payment Gateway (Credit/Debit Cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid-Processing Fee Account में Credit किया जायेगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
20. निविदा डालने के समय सभी प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित पठनीय छायाप्रति निविदा कागजातों के साथ संलग्न (अपलोड) करना आवश्यक होगा। निविदा कागजात का मूल्य (जो किसी भी स्थिति में लौटायी नहीं जायेगी) किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पदनाम से पटना में भुगतान होना चाहिए।
21. अग्रधन के रूप में छः/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट / किसान विकास पत्र / (तीन वर्षीय) डाकघर सावधि जमा/ अनुसूचित बैंक का फिक्सड डिपोजिट प्रमाण पत्र/ राष्ट्रीय बैंक का बैंक गारंटी, जो संबंधित कार्य प्रमण्डल, कार्यपालक अभियंता के पदनाम से निविदा के बाद की तिथि का विधिवत प्रतिज्ञापित किया हो वैध होगा अथवा बैंक गारंटी जो बीड के मान्य अवधि तक के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीय बैंक या अनुसूचित बैंक से निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारंटी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत कराया जाना अनिवार्य होगा) अग्रधन के रूप में जमा किये जाने वाले कागजात की सभी प्रति निविदा जमा (अपलोड) करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा। अग्रधन (Earnest Money) की राशि के रूप में जमा डिमान्ड ड्राफ्ट के पीछे निविदाकार का नाम, निविदा सूचना सं० तथा युप सं० अंकित कर समर्पित किया जाय।

(Handwritten signature and initials)

22. सशर्त बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जाएगा। S.B.D. के विहित प्रपत्र के अनुरूप ही बैंक गारंटी स्वीकार किया जाएगा।
 23. कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 24. कम्पनी एक्ट अथवा साझेदारी अधिनियम के तहत निबंधित संवेदक के अग्रधन की राशि कम्पनी/फर्म के नाम से ही मान्य होगी। ऐसे मामले में व्यक्तिगत नाम से अग्रधन की राशि मान्य नहीं होगी।
 25. बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने/ स्थगित/निविदा तिथि विस्तार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है।
 26. संवेदक कार्य में समुचित अनुसूचित दर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विशिष्ट के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।
 27. डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड 3 वर्ष का होगा।
 28. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए कोष (Labour cess) के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा। बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग के अद्यतन नियमानुसार मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं स्वामिसि (Royalty) की कटौती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तद्दालोक खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जायेगी।
 29. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के पूर्व ही समय रहते हुए परिमाण विपत्र डाउनलोड एवं निविदा अपलोड कर दें, अन्यथा अंतिम समय में इंटरनेट सेवा बाधित रहने के कारण निविदा नहीं डाले जाने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
 30. कार्यदेश के उपरान्त अद्यतन लेबर लाइसेन्स देना अनिवार्य होगा।
 31. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने खर्च पर अथवा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियंत्रण प्रयोगशाला में कराना अनिवार्य है।
 32. S.B.D. के प्रावधानों के अनुरूप सभी कागजातों के अलावा पहला (i) G.S.T निबंधन प्रमाण-पत्र, (ii) पैन कार्ड, (iii) जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण पत्र (कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित कम्पनी के सभी प्रबंधक का अलग-अलग चरित्र प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप फार्म में सभी पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र) अपलोड करना अनिवार्य है तथा (iv) परिमाण विपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट एवं अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली कागजात की प्रति भी अपलोड करना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। निविदाकार द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र की अवधि निविदा आमंत्रण तिथि तक होना अनिवार्य है।
- नोट:-** एकरारनामा के समय अद्यतन जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण पत्र (कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित कम्पनी के सभी प्रबंधक का अलग-अलग चरित्र प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप फार्म में सभी पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र) का अभिप्रमाणित छायाप्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा।
33. निविदादाता निविदा में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल का अच्छी तरह निरीक्षण कर लेंगे एवं योजना के क्रियान्वयन के दौरान स्थल जनित समस्याओं एवं स्थानीय समस्याओं से भलीभाँति अवगत हो लेंगे, इसके आलोक में अपना दर अंकित करेंगे किसी संवेदक द्वारा इस प्रकार की समस्याओं (यथा श्रमबल, निर्माण सामग्रियों, पहुँच पथ, स्थल पर पानी, कार्य स्थल, प्राक्कलन क्वैरी स्थल एवं अन्य कोई स्थानीय समस्या इत्यादि) के निराकरण हेतु अतिरिक्त दावा/ क्षतिपूर्ति दावा मान्य नहीं होगा। क्षेत्रीय अभियंताओं के द्वारा इस तरह के दावा को उनके स्तर से ही अस्वीकृत / अमान्य कर दिया जायेगा।
 34. निविदाकार द्वारा विगत पाँच वर्षों का Tax Audit report आयकर विभाग के Site से Watermark के साथ Download किया हुआ मूल रूप में ही PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है यह डिजिटली साइंड होता है इसलिए फिर से प्रिन्ट, साइन, स्कैन कर के ई टेन्डरिंग साईट पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
1 जुलाई 2019 के बाद चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित सभी ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में UDIN नं० होना अनिवार्य है।
 35. निविदा में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।
 36. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 566(भ) दिनांक 17.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। साथ ही परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं० 448/पटना दिनांक 16.01.2020 के

अन्तर्गत Additional Performance Guarantee लेने का प्रावधान किया जाता है। तद्आलोक में Additional Performance Guarantee एकरारनामा के पूर्व निम्नप्रकार से लिया जाएगा।

- a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
- b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
- c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
- d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

37. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
38. निविदा की विज्ञापित तिथि को यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का कार्यालय बन्द हो जाय तब निविदा अगले कार्य दिवस को उसी प्रक्रिया से चार बजे अपराह्न तक प्राप्त की जायेगी।
39. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुर्ननिविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। संबंधित कार्य का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।
40. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम सम्बन्धित कार्य प्रमण्डल या अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, अंचल कार्यालय पटना या मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में, सम्पर्क किया जा सकता है।

41. संवेदक द्वारा निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य है-

(क) मेरे/हमारे द्वारा निम्नलिखित कार्य कराये जा रहे हैं :-

क्र० सं०	कार्य का नाम संस्था का नाम	एकरारनामा की राशि	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	अद्यतन स्थिति	अगर एकरारनामा की अवधि के बाद कार्य लम्बित है तो क्यों
1	2	3	4	5	6

- (ख) उपर्युक्त स्तम्भ 2 में वर्णित कोई भी कार्य अकारण अर्थात् मेरे / हमारे कारण लम्बित नहीं है मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय /थाना में विचाराधीन नहीं है।
- (ग) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लंबित नहीं है, कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा लंबित नहीं है तथा एकरारनामा के पश्चात् निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ कर दिया हूँ। मेरे द्वारा निर्मित / निर्माणाधीन भवनों में गुणवत्ता से संबंधित कोई आरोप नहीं है।
- (घ) मेरा/हमारा कोई निकट संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (ङ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।
- (च) उपरोक्त कंडिका 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने, अथवा कंडिका 'ङ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली या जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे उपर विधिसम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।

42. ई. निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल रूप में कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल/अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्य अंचल पटना/ मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना, के लेखा शाखा में, तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय तक, जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।

43. जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(Handwritten signatures and marks)

44. "Contract Clause-25 of SBD Settlement of Dispute and Arbitration -
The Settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the Provisions made in Bihar
Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008."

ज्ञापांक- एच0क्यू- 3954

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, परिमाण विपत्र शाखा, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना को परिमाण विपत्र अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

पटना, दिनांक- 21/12/21

ज्ञापांक- एच0क्यू- 3954

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल- पटना, दरभंगा, मगध कैम्प डेहरी ऑन सोन, पूर्णियाँ, राजगीर, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

पटना, दिनांक- 21/12/21

ज्ञापांक- एच0क्यू- 3954

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल- 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक/ कार्यपालक अभियन्ता, प्रमण्डल- मोनिटरिंग/विद्युत/सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण-1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

पटना, दिनांक- 21/12/21

ज्ञापांक- एच0क्यू- 3954

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी/ जमुई/ पूर्णियाँ/ कटिहार/ बेतिया/ मुजफ्फरपुर/ सिवान/ अररिया/ रोहतास/ औरंगाबाद/ खगड़िया/ भागलपुर/ बेगुसराय/ दरभंगा/ किशनगंज/ लखीसराय एवं भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

पटना, दिनांक- 21/12/21

मुख्य अभियन्ता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

[Handwritten signatures and initials]